

प्रेषक,

कृष्ण कुमार—सप्तम्
सिविल जज(सी०डि०)
जलेसर, एटा।
आई.डी.नं०—यू०पी० 2126

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
एटा।

विषय:

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति दिनांकित 06.09.2019
के अनुपालन में, अर्जित अवकाश का उपभोग करने के
पश्चात् प्रभार मुक्त एवं ग्रहण के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक
02.09.2019 से 16.09.2019 तक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा
उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने की प्रत्याशा में अर्जित अवकाश का उपभोग
करने के पश्चात् दिनांक 17.09.2019 की पूर्वाह्न में न्यायालय सिविल जज
(सी०डि०) एफ० टी० सी० एटा का प्रभार ग्रहण किया गया। माननीय उच्च
न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या—3365/एडमिन (सर्विसेज)/2019 दिनांकित
06, सितम्बर 2019 के अनुक्रम में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) एफ०
टी० सी० एटा का प्रभार भी दिनांक 17.09.2019 की पूर्वाह्न में ही छोड़ा
गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विज्ञप्ति के
अनुपालन में दिनांक 17.09.2019 की पूर्वाह्न में ही न्यायालय सिविल जज
(सी०डि०) जलेसर, एटा का प्रभार ग्रहण किया गया। प्रभार प्रमाण पत्र
संलग्न किये जा रहे हैं।

तदनुसार माननीय महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं
अवलोकनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है।

सादर।

दिनांक

17.09.2019

भवदीय,
Kishore K.
17/09/19

(कृष्ण कुमार—सप्तम्)
सिविल जज(सी०डि०)
जलेसर, एटा।

आई.डी.नं०—यू० पी० 2126

संलग्नक:

- (1) न्यायालय सिविल जज(सी०डि०) एफ०टी०सी० का प्रभार ग्रहण प्रमाण पत्र।
- (2) न्यायालय सिविल जज(सी०डि०) एफ०टी०सी० का प्रभार मुक्त प्रमाण पत्र।
- (3) न्यायालय सिविल जज(सी०डि०) जलेसर का प्रभार ग्रहण प्रमाण पत्र